न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, बागपत।

उपस्थितः उपेन्द्र कुमार, एच0जे0एस0

जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र संख्या-82/2017

देवेन्द्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह, निवासी ग्राम हलालपुर, थाना छपरौली, जिला बागपत।

..प्रार्थी/अभियोगी।

बनाम

1. मथन सिंह पुत्र केहर सिंह,
2. सतेन्द्र पुत्र मथन सिंह,
3. देवव्रत उर्फ सन्नी पुत्र सतेन्द्र,

निवासीगण ग्राम हलालपुर, थाना छपरौली, जिला बागपत।

4. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्ेट, बागपत।

..विपक्षीगण।

आदेश

प्रार्थी देवेन्द्र सिंह की ओर से विपक्षीगण 1 ता 3, जो कि मु.अ.सं. 342/2014, अन्तर्गत धारा 302, 307, 323, 506 भा.द.सं., थाना छपरौली, जिला बागपत में अभियुक्त हैं, को दी गयी जमानत के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र 3अ प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना-पत्र 3अ के सम्बन्ध में गत तिथि को मैने प्रार्थी व विपक्षीगण 1 ता 3 के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रार्थी देवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना-पत्र 3अ में यह अभिकथन किये गये हैं कि दिनांक 20.8.2014 को विपक्षीगण मथन सिंह, सतेन्द्र, वीरव्रत व देवव्रत ने मिलकर दिन के 12ः00 बजे प्रार्थी/वादी के भाई रविन्द्र की हत्या कर दी एवं प्रार्थी व उसके रिश्तेदार अरविन्द उर्फ छोटा को गम्भीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट उसी दिन 01ः45 बजे थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 342/14 अन्तर्गत धारा 302, 307, 323, 506 भा.द.सं. के अन्तर्गत दर्ज कराई गयी, जिसमें विवेचना के उपरान्त विवेचना अधिकारी के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो सत्र परीक्षण संख्या 87/2015 के रूप में आरम्भ हुआ। इसी मध्य मथन सिंह का जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 827/15 एवं सतेन्द्र की जमानत का प्रार्थना-पत्र संख्या 43967/14 माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किया गया तथा देवव्रत उर्फ सन्नी को धारा 319 द.प्र.सं. के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया गया था। उसका जमानत प्रार्थना-पत्र दिनांक 22.12.2016 को सत्र न्यायालय के द्वारा स्वीकार किया गया।

यह कि अरविन्द उर्फ छोटे का बयान पी.डबलू.-1 के रूप में लेखबद्ध किया गया तथा उसकी प्रतिपरीक्षा पूर्ण हुई। अभियुक्तगण की जमानत इस आधार पर स्वीकार की गयी थी कि वे अभियोग पर किसी भी प्रकार से उनकी गवाही को प्रभावित नहीं करेंगे तथा उसके गवाहों को प्रभावित करने के लिए अनैतिक रूप से दबाब नहीं बनायेंगे। अभियुक्त सतेन्द्र ने एक फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 288/15, अन्तर्गत धारा 307 भा.द.सं. वादी व उसके गवाह विकेन्द्र के भाई सतेन्द्र के विरूद्ध दर्ज कराया, जिसमें विवेचना अधिकारी के द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसके विरूद्ध परिवाद दर्ज कराया गया। दिनांक 23.9.2014 को सुबह करीब 7ः00 बजे जब प्रार्थी ज्वार काट रहा था, तब देवव्रत ने अपने साथ 3 लोगों को लेकर हथियार दिखाकर धमकी दी कि हमारे पक्ष में शपथ पत्र लगा दो,

नहीं तो तुम्हें जिन्दा नहीं छोडेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बागपत को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। यह कि दिनांक 31.01.2016 की रात्रि 12ः00 बजे प्रार्थी/वादी के खेत में ईख की फसल में सतेन्द्र पुत्र मथन सिंह ने आग लगा दी, जिसकी रिपोर्ट थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 361/16 के रूप में दर्ज कराई, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। मृतक रविन्द्र की पत्नी ने भी इन लोगों के विरूद्ध प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बागपत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकी फोटोप्रति संलग्नक-य के रूप में संलग्न है। दिनांक 22.10.2015 को प्रार्थी के द्वारा जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, बागपत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह कि अभियुक्तगण सतेन्द्र व मथन सिंह ने प्रार्थी/वादी को उनके खेत में न तो फसल काटने दी और न ही खेती करने दी और झगड़ा किया और फैंसले का दबाब बनाया, जिसमें उसे गिरफतार किया गया तथा इनके विरूद्ध वाद संख्या 114/2017 अन्तर्गत धारा 107/116 व धारा 151 द.प्र.सं. थाना छपरौली में कार्यवाही की गयी। यह कि अभियुक्तगण, प्रार्थी/वादी व उसके गवाहों पर उनके पक्ष में गवाही देने के लिए धमकी व दबाब बनाया जा रहा है, जो कि उनको दी गयी जमानत की शर्ता का उल्लंघन है। वे सत्र परीक्षण में साक्ष्य को प्रभावित कर रहें हैं, इसलिए उनकी जमानत निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रार्थी/वादी देवेन्द्र के द्वारा अपना शपथ-पत्र संलग्न किया गया है।

विपक्षी/अभियुक्तगण की ओर से 13 ब आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उनके द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि आपत्तिकर्ता मथन सिंह व सतेन्द्र की जमानत उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्वीकार हुई है तथा आपत्तिकर्ता देवव्रत की नामजदगी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विवेचना के दौरान गलत पाई गयी थी तथा न्यायालय के द्वारा उसे धारा 319 द.प्र.सं. के अन्तर्गत तलब किया गया है तथा उसकी जमानत सत्र न्यायाधीश, बागपत के द्वारा स्वीकार की गयी है। यह कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी देवेन्द्र सिंह ने आपत्तिकर्ता मथन सिंह व सतेन्द्र की जमानत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्वीकार किये जाने के विरूद्ध माननीय सर्वाच्च न्यायालय में एस.एल.पी. संख्या 87468747/ 15 दाखिल की थी, जो दिनांक 01.7.2015 को माननीय सर्वाच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी। आदेश की प्रति संलग्न है। यह कि जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना-पत्र झूॅठे आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभियुक्त सतेन्द्र पर वादी देवेन्द्र व सतेन्द्र ने गोली चलाई थी, जो कि आपत्तिकर्ता संख्या 2 के सीने में लगी थी तथा जिसका मु.अ.सं. 288/2015 धारा 307 भा.द.सं. में थाना छपरौली पर दर्ज हुआ था, लेकिन उपरोक्त केस के अभियोगी देवेन्द्र व सतेन्द्र ने पुलिस से साज करके उक्त केस में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित करा दी। वादी देवेन्द्र का यह कथन कि दिनांक 23.9.2014 की सुबह करीब 7ः00 बजे जब वह अपने खेत में ज्वार की फसल काट रहा था तो देवव्रत उर्फ सन्नी ने अपने तीन अन्य साथियों को साथ लेकर हथियार दिखाते हुए धमकी दी, गलत है, तथा इस घटना की तहरीर पुलिस अधीक्षक, बागपत को प्रस्तुत की गयी थी, लेकिन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तहरीर में झूॅठे तथ्य दर्शित कर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था। यह कि वादी देवेन्द्र का यह कथन कि दिनांक 31.10.2016 की रात के 12ः00 बजे उसके ईख के खेत में आपत्तिकर्ता संख्या 2 सतेन्द्र ने आग लगा दी, जिसकी रिपोर्ट थाना छपरौली पर मु.अ.सं. 361/2016 है, की विवेचना के दौरान यह घटना असत्य पाई गयी और पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध मृतक रविन्द्र की पत्नी ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र में झूॅठे तथ्य दर्शाये गये थे, इसलिए पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दिनांक 22.10.2015 को आपत्तिकर्तागण के द्वारा केस में फैंसला करने की कोई धमकी देवेन्द्र को नहीं दी गयी। वादी देवेन्द्र के द्वारा पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था, लेकिन सभी तथ्य झूॅठे थे, इसलिए पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह

कि वादी देवेन्द्र सिंह ने स्वयं आपत्ति कर्ता 1 व 3 के साथ झगडा किया था तथा पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को गिरफतार किया गया था तथा इस सम्बन्ध में वाद संख्या 114/17 धारा 107/116 व 151 द.प्र.सं. दर्ज किया गया था। यह कि दिनांक 25.10.2017 को आपत्तिकर्ता मथन सिंह ने उपरोक्त केस के वादी देवेन्द्र सिंह के पिता हरपाल सिंह को एक प्लाट बेचा है, जिसमें उपरोक्त केस का अभियोगी देवेन्द्र सिंह उक्त बैनामें का गवाह है। यदि आपत्तिकर्तागण अभियोगी पक्ष को धमकी देते या फैंसले का दबाब बनाते तो अपना प्लाट अभियोगी पक्ष को क्यों बेचते व बैनामा करते समय अभियोगी देवेन्द्र सिंह, रजिस्ट्ी दफ्तर पर मौजूद था, उसे वहॉ मार सकते थे, धमकी दे सकते थे। आपत्तिकर्तागण के द्वारा केस में अपनी जमानत का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और न ही कोई साक्ष्य तोडा है और न ही कोई साक्ष्य मिटाया है तथा साक्षीगण को प्रभावित भी नहीं किया है, बल्कि स्वयं वादी के द्वारा आपत्तिकर्तागण की जमानत निरस्त कराने के लिए झूॅठे तथ्य दर्शित कर पुलिस अधीक्षक, बागपत को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तथा पुलिस के द्वारा तथ्यों के झूॅठे पाये जाने पर इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त केस के साक्षी अरविन्द, जो कि कथित घायल साक्षी है, उसकी साक्ष्य के आधार पर ही विपक्षी संख्या 3 देववृत को धारा 319 द.प्र.सं. के अन्तर्गत बतौर अभियुक्त तलब किया गया है। वादी के द्वारा झूॅठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाये। मथन सिंह का शपथ-पत्र आपत्ति के साथ संलग्न किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी देवेन्द्र सिंह के द्वारा दिनांक 20.8.2014 को घटी घटना के सम्बन्ध में विपक्षीगण व एक अन्य के विरूद्ध थाना छपरौली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गयी, जो मु.अ.सं. 342/14 अन्तर्गत धारा 302, 307, 323, 506 भा.द.सं. के रूप में पंजीकृत हुई तथा उक्त प्रकरण में विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना आरम्भ की गयी। अभियुक्तगण मथन सिंह व सतेन्द्र को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या क्रमशः 827/15 व जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 43967/14 में पारित आदेशों के माध्यम से जमानत प्रदान की गयी। विवेचना अधिकारी के द्वारा विपक्षी संख्या 3 देवव्रत के विरूद्ध अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी तथा पी.डबलू.-1 अरविन्द का बयान न्यायालय में लेखबद्ध किया गया तथा न्यायालय के द्वारा धारा 319 द.प्र.सं. के अन्तर्गत देवव्रत उर्फ सन्नी को विचारण हेतु आहूत किया गया, जिसकी जमानत दिनांक 22.12.2016 को सत्र न्यायाधीश, बागपत के द्वारा स्वीकार की गयी। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मथन सिंह व सतेन्द्र को जमानत प्रदान किये जाने के विरूद्ध वादी देवेन्द्र सिंह की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय में समक्ष याचिका संख्या 8746- 8747 /2015 योजित की गयी, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निरस्त की गयी थीं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 01.7.2015 की प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 14 ब/12 के रूप में उपलब्ध है। इस तथ्य को अभियोगी/वादी की ओर से विवादित नहीं किया गया है। वादी के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में अभियुक्तगण की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें अभियुक्त सतेन्द्र के द्वारा अपने व गवाहान के विरूद्ध मु.अ.सं. 288/2015 के रूप में फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाना अंकित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विवेचना अधिकारी के द्वारा उक्त प्रकरण में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है। वादी की ओर से दिनांक 23.9.2014 की घटना का उल्लेख करते हुए देवव्रत उर्फ सन्नी व तीन अन्य के द्वारा स्वयं को व गवाहान को शपथ देने हेतु धमकी देने का कथन किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.9.2014 के उपरान्त ही अभियुक्त देवव्रत को न्यायालय द्वारा विचारण हेतु आहूत किया गया है तथा विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के

द्वारा देवव्रत के विरूद्ध अंतिम आख्या प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना स्पष्ट नहीं होता है। वादी देवेन्द्र के द्वारा दिनांक 31.10.2016 की घटना का उल्लेख करते हुए अभियुक्त सतेन्द्र के द्वारा वादी के ईख के खेत में आग लगाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का अभिकथन किया गया है, लेकिन अभिलेख से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण में विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना के उपरान्त अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित की गयी है। वादी देवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 9 में अभियुक्तगण के द्वारा वादी को खेत की फसल न काटने देने और खेती न करने देने और झगडा किये जाने तथा फैंसले का दबाब बनाये जाने के सम्बन्ध में कथन किये गये हैं, जिसके सम्बन्ध में आपत्तिकर्ता के द्वारा जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी हैं, उनसे यह परिलक्षित होता है कि उक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस के द्वारा वाद संख्या 114/17 अन्तर्गत धारा 107/116 व 151 द.प्र.सं. के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा वादी व अभियुक्तगण को गिरफतार कर उनके विरूद्ध शांति भंग करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है। वादी के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी भी घटना से यह तथ्य स्थापित नहीं होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी व उसके गवाहान को धमकी दी गयी अथवा प्रभावित किया गया अथवा साक्षीगण को भयभीत किया गया हो। इसके विपरीत आपत्तिकर्ता गण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में यह उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता संख्या 1 मथन सिंह ने उपरोक्त केस के अभियोगी देवेन्द्र सिंह के पिता हरपाल सिंह को एक प्लाट बेचा है, जिसमें उपरोक्त केस का अभियोगी देवेन्द्र सिंह उक्त बैनामें का गवाह है। आपत्तिकर्तागण की ओर से अपनी आपत्ति के उक्त उल्लेख के सम्बन्ध में विक्रय पत्र दिनांकित 25.10.2017 की प्रमाणित प्रति 14 ब/4 ता 14 ब/11 संलग्न की गयी है। वादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह स्पष्ट होता हो कि अभियुक्तगण मथन सिंह व सतेन्द्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से जमानत प्रदान करते समय अधिरोपित की गयी शर्ता का उल्लंघन किया गया हो।

अभिलेख से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में सत्र परीक्षण संख्या 87/2015 सरकार बनाम मथन सिंह आदि के रूप में अभियुक्तगण का विचारण चल रहा है, जिसमें अभियुक्तगण निरन्तर उपस्थित आ रहे हैं।

जैसा कि उपर की गयी विवेचना से स्पष्ट है कि वादी प्रस्तुत मामले में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे कि यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी या साक्षीगण को धमकी दी गयी अथवा उनको भयभीत कर साक्ष्य न देने हेतु प्रभावित किया गया हो अथवा विचारण में सहयोग न किया गया हो अथवा अभियुक्तगण अन्य गम्भीर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गये हों, तब उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण मथन सिंह, सतेन्द्र व देवव्रत उर्फ सन्नी की जमानत निरस्त किये जाने का कोई पर्याप्त कारण व आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी देवेन्द्र सिंह की ओर से अभियुक्तगण मथन सिंह, सतेन्द्र व देवव्रत उर्फ सन्नी की जमानत निरस्त करने हेतु प्रस्तुत उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई बल नहीं पाता हूॅ। प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। तदानुसार प्रार्थना-पत्र 3 अ निरस्त किया जाता है।

दिनांकः-27.3.2018　　　　　　　　　　(उपेन्द्र कुमार),

सत्र न्यायाधीश, बागपत।